



ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 2026 / 12-1(2) दिनांक 09 - 02 / 2016::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- पयांताल-त्युंखर-चिरबटिया मोटर मार्ग के नव निर्माण (1.40 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- PROPOSAL NO- FP/UK/ROAD/10497/2015

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-468/16सी० दिनांक 05-02-2016 के द्वारा ऑन लाईन निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	Authority letter is not match with the applicant details.	ऑथोरिटी लैटर सही कर दिया गया है। (संलग्न- ऑथोरिटी लैटर)
2	Coordinates are shown on the map provided for the area proposed for diversion at every 300 m length.	आपत्ति का निराकरण किया गया है। (संलग्न-मानचित्र)
3	Five villages are reported to be connect but in village wise break up only one village shown.	आपत्ति का निराकरण किया गया है। (संलग्न-प्रपत्र)
4	The number of trees to be felled is not clear in Part II and attachment in Part I.	प्रस्तावित परियोजना में कुल 116 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से 07 वृक्ष 0-10 व्यास के शामिल हैं तथा 109 वृक्ष विभिन्न व्यास वर्ग के प्रभावित हो रहे हैं जिनका विवरण पार्ट-2 के मद संख्या-4(ii) में दर्शाया गया है। (संलग्न-प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची)
5	Point 5, 7 of Part II is need to be clarify.	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-5 तथा 7 को ऑनलाईन सही कर दिया गया है।
6	Reason of Poor CA stipulation may be given.	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या-14 को ऑनलाईन सही कर दिया गया है।
7	Density is given in Part II attached is 0.001 while in Part II online performa is 0.4 the discrepancy may be rectify.	हरियाली का घनत्व पार्ट-2 संलग्न में सही कर दिया गया है। (संलग्न)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

अधिशालसी अधिशालसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Fax: 01364-233204, E-mail ID: eeepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 468 / 162

दिनांक 05/2/2016

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

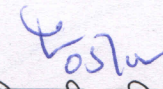
विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10497/2015 पंयाताल-त्यूंखर-
चिरबटिया लस्या मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो
हेतु लोक निर्माण विभाग, को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की गयी थी, जिस पर ऑन
लाइन आपत्तियां लगायी गयी थी, जिनका निराकरण निम्न प्रकार है-

1. बिन्दु संख्या 1- ऑथरिटी लेटर सही कर दिया गया है (संलग्न है)
2. कॉर्डिनेट्स 200 मीटर की दूरी पर लिये गये हैं तथा मानचित्र में भी वही दर्शाया गया है (संलग्न है)।
3. मार्ग से जुड़ने वाले गांव को सही कर दिया गया है (संलग्न है)

संलग्न- उपरोक्तानुसार - 3 प्रपत्र।


अधिशालसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

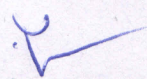
प्रतिलिपि-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशालसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

Application

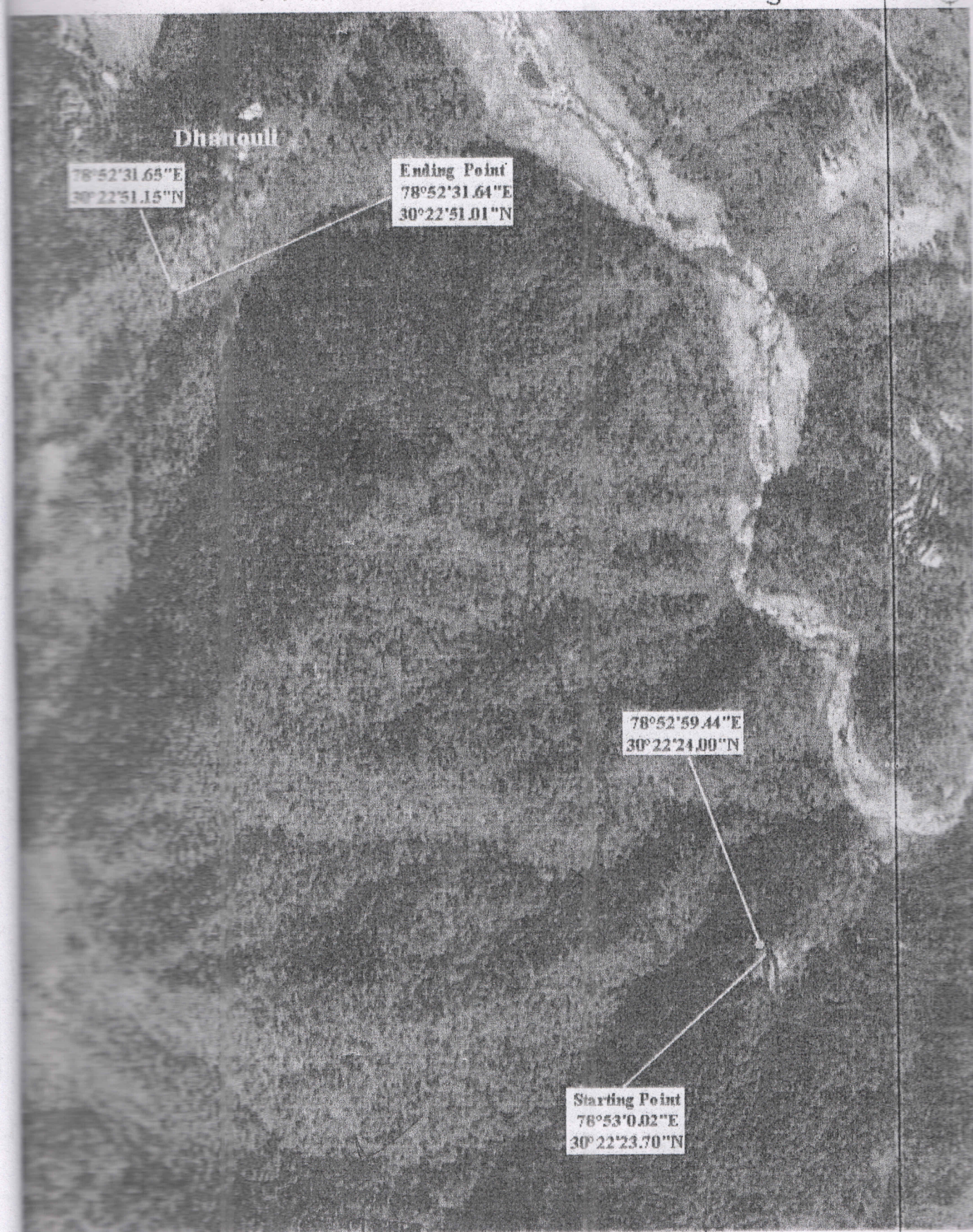
I hereby authorize my self (**Mr. Indrajit Bose Executive Engineer, P.D. PWD Rudraprayag**) to make forest files upload online on behalf of the user Agency.


Executive Engineer

P.D. PWD

Rudraprayag

डिजिटल मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत पंचायत – त्र्युंखर
– चिखटिया – लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



78°52'31.65"E
30°22'51.15"N

Ending Point
78°52'31.64"E
30°22'51.01"N

78°52'59.44"E
30°22'24.00"N

Starting Point
78°53'0.02"E
30°22'23.70"N

रुद्रप्रयाग

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशारी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, त्र्युंखर वि. वि.
रुद्रप्रयाग

Legend
Mark Signal
Proposed Road
Existing Road

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंजाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी०

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	कोड	जनसंख्या
1 धनौली -		200

	कुल -	200


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिषासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

A-2-17

Page No. 25

संख्या- / कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग दिनांक: , 200.

वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी०

मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.4000 हे० सिविल/आरक्षित/वन पंचायत/नाप भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:-

क्र.सं.	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			00.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	जखोली	चीड़	7	16	26	31	16	6	3	2	4		111
		अंयार		3	1								4
		सिरस		1									1
		योग											116

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

संलग्न है।

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना / स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० जखोली में
राज्य योजना के अन्तर्गत
पंथाताल-त्यूखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग
के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- | | | |
|-------|---|--|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | रुद्रप्रयाग। |
| iii) | वन प्रभाग | रुद्रप्रयाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में) | 2.800 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | 0.0000 है० वन पंचायत भूमि
0.0000 सिविल सोयम वन भूमि
1.4000 है० आरक्षित भूमि
0.0000 है० नाप भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | 0.40 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूची में संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 0.00 किमी० |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
| 8- | प्रयोजता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | लागू नहीं |

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

1984 वर्ग किमी0

ii. जिला का वन क्षेत्र।

1790.995 वर्ग किमी0

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

578-991/hae. 151 Case

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

1129-614/hae.

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

X

(ख) वनेत्तर भूमि पर

X

v. 2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

1129-614/hae.

(क) वन भूमि पर

X विकास कार्य

(ख) वनेत्तर भूमि पर

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान-रुद्रप्रयाग

नाम

सरकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

जयप्रकाश उप वन प्रभाग

रुद्रप्रयाग

प्रमाणित (किशन चंद)
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग